**न्यायालय सहायक कलक्टर, चूरू**
**पीठासीन अधिकारी श्री सक्षम गोयल, आई.ए.एस.**

| नम्बर मुकदमा | किस्म मुकदमा | ता0 दायरा | निर्णय तिथि |
|---|---|---|---|
| 34/2022 | दावा 88,92 RTA | 21.03.2022 | 14.03.2024 |

1. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र छत्रसालसिंह जाति राजपुत निवासी गांव दुधवाखारा तहसील व जिला चूरू हाल दुधवा हाउस, माल गोदाम रोड़ रेल्वे स्टेशन द्वितीय ऐन्टरी बीकानेर

—वादी—

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू जिला चूरू

— प्रतिवादी—

दावा अन्तर्गत धारा 88,92 आर.टी.एक्ट

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री भागीरथ सिद्ध ।
2. पैरोकार राज प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित

## निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी गांव दुधखारा तहसील व जिला चूरू का मूल निवासी हैं और बाल कंवर पत्नी सुरजमाल सिंह जाति राजपुत का जायन्दा पौत्र है जो बाल कंवर के पुत्र छत्रपाल सिंह का जायंदा पुत्र हैं। वादी के पिता छत्रपालसिंह व वादी की दादी बालकंवर पत्नी सुरजमालसिंह का स्वर्गवास हो चुका है । इसलिए यह दावा वादी की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी की दादी बालकंवर के नाम से रोही गांव दुधवाखारा में कृषि भूमि ख. नं. 620, 892, 892/1087, 892/1088, 935, 938 में वादी की दादी का 1/5 हिस्सा बराबर दर्ज है। वादी की दादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड बाल कंवर के स्थान पर सुवाल कंवर गलत दर्ज है।

वादी की दादी बाल कंवर के नाम से बनाया गया भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, भू—प्रबन्धन विभाग का पर्चा लगान 333 दिनांक 16/08/1972 व जमाबंदी आई.एल.आर. बीकमपुर तहसील कोलायत उप—तहसील बज्जु जिला बीकानेर के खसरा नम्बर 09, की जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में ही वादी की दादी का नाम बालकंवर पत्नी सुरजमालसिंह जाति राजपूत चला आ रहा है।

वादी को ज्ञान होने पर वादी की दादी के नाम की खातेदारी की कृषि भूमि में उक्तानुसार दुरूस्ती करवाने हेतु तहसीलदार चूरू से निवेदन किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं से वादी की दादी [illegible] वादाधार प्राप्त हुआ।

अतः उचित कोर्ट फीस पर दावा [illegible] निवेदन है कि घोषित किया जावे कि वादगत कृषि भूमि ख. नं. 62[illegible] 938 रोही ग्राम दुधवा खारा तहसील व [illegible] में [illegible] हिस्सा बराबर दर्ज है के राजस्व रिकॉर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:29 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी (राजस्थान)

जमाबंदी में सुवाल कंवर पत्नी सुरजमालसिह के स्थान पर वादी की दादी का नाम बाल कंवर पत्नी सुरजमालसिंह जाति राजपुत निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरू घोषित किया जावे।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगावाई जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए तहसीलदार चूरू से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त वादी के परिवार जन बीकानेर निवास करते है जिसपर तहसीलदार राजस्व तहसील बीकानेर जिला बीकानेर पुराना कचहरी परिसर बीकानेर से रिपोर्ट मंगवाई गई।

रिपोर्ट तहसीलदार बीकानेर के अनुसार स्व. बाल कंवर पत्नी सुरजमालसिंह दुधवा हाउस, मालगोदाम रोड़ बीकानेर निवासी थे जिनका निधन दिनांक 27/07/2015 को हो चुका है तथा सुवाल कंवर एवं बाल कंवर एक ही महिला के दो नाम थे तथा दस्तावेजों में बालकंवर पत्नी सुरजमालसिंह है आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण –पत्र आदि में मृतक का सही नाम बालकंवर पत्नी सुरजमालसिंह है।

रिपोर्ट प्राप्त होने अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। बहस में अधिवक्ता वादी ने दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादी की दादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी की ओर से ख. नं. 620, 892, 892/1087, 892/1088, 935, 938 रोही ग्राम दुधवाखारा में वादी की दादी का नाम सुवालकंवर पत्नी सुरजमालसिंह के स्थान पर बालकंवर पत्नी सुरजमालसिंह दुरूस्त करवाये जाने का निवेदन किया है। दस्तावेज जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड ख. नं. 620, 892, 892/1087, 892/1088, 935, 938 रोही ग्राम दुधवाखारा में वादी की दादी का नाम सुवाल कंवर पत्नी सुरजमालसिंह अंकित है। वसीयतनामा में बालकंवर पत्नी सुरजमालसिंह अंकित है। वादी की दादी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में वादी की दादी का नाम बाल कंवर पत्नी सुरजमालसिंह है। पर्चा लगान 333 में खातेदारों के दलीपसिंह, छत्रपालसिंह, आसूसिंह, इन्द्रसिंह, सूरजमालसिह, बालकंवर बेवाह सुरजमालसिंह सा. देह खातेदार दर्ज है। जमाबंदी बीकमपुरा खसर नम्बर 09 वसीयत आदेश में बालकंवर पत्नी सुरजमालसिंह ने अपनी वसीयत उषा कंवर पत्नी छत्रपालसिंह को की है तथा वादी के दस्तावेजों में पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र छत्रसालसिंह दर्ज है।

हमने पत्रावली, पेश दस्तावेजों, पक्षकारों के शपथ पत्रों एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट का अवलोकन कर तथ्यों पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि कृषि भूमि ख. नं. ख. नं. 620, 892, 892/1087, 892/1088, 935, 938 रोही ग्राम दुधवाखारा तहसील व जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में वादी की दादी का नाम बालकंवर पत्नी सुरजमालसिंह के स्थान पर सुवालकंवर पत्नी सुरजमालसिंह गलत रूप से दर्ज हो गया है। वादी द्वारा पेश दावा एवं दावा के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमि वादी की दादी की खातेदारी की कृषि भूमि है। राजस्व [illegible] र्ज चले आने के वादी की दादी के वारिसान को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। [illegible] कृषि भूमि के खातेदार का पौत्र है इसलिए उन्हें राजस्व रिकार्ड [illegible] के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी की दादी [illegible] जाने से राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित [illegible] हीं है। इस प्रकार वादी द्वारा पेश दस्तावेजों,

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:29 IST
Reason: SelfAttested

शपथ पत्रों एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

## निर्णय

वादी द्वारा पेश दस्तावेजों, शपथ पत्रों एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि कृषि भूमि ख. नं. 620, 892, 892/1087, 892/1088, 935, 938 रोही ग्राम दुधवा खारा तहसील व जिला चूरू में वादी की दादी का नाम सुवाल कंवर पत्नी सुरजमालसिंह के स्थान पर बाल कंवर पत्नी सुरजमालसिंह किये जाने की घोषणा की जाती है।

तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी (राजस्थान)

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपाल मजिस्टेट
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:29 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

## अदालत सहायक कलक्टर, मुकाम चूरू

**ब इजलास : श्री सक्षम गोयल आई.ए.एस.**

1. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र छत्रसालसिंह जाति राजपुत निवासी गांव दुधवाखारा तहसील व जिला चूरू हाल दुधवा हाउस, माल गोदाम रोड़ रेल्वे स्टेशन द्वितीय ऐन्टरी बीकानेर

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू जिला चूरू

– प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88,91 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नं. 34 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री भागीरथ सिद्ध एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजों, शपथ पत्रों एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि कृषि भूमि ख. नं. 620, 892, 892/1087, 892/1088, 935, 938 रोही ग्राम दुधवा खारा तहसील व जिला चूरू में वादी की दादी का नाम सुवाल कंवर पत्नी सुरजमालसिंह के स्थान पर बाल कंवर पत्नी सुरजमालसिंह किये जाने की घोषणा की जाती है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 14.माह मार्च सन् 2024 को जारी की गई।

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपाल मजिस्टेट
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:29 IST
Reason: SelfAttested